FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** बनाम **बृजश कुमार सैनी वगै0**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी ईसीएक्ट धारा 3/7**

प्रा0पत्र नम्बर 15/273/2022 दायर दिनांक 21.10.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2022	पत्रावली प्रार्थी के प्रा0पत्र के माध्यम से आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारूति ओमनी वैन रजि0 संख्या आर.जे.–02–यू.एस.–7605 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी सदर अलवर व जिला रसद अधिकारी अलवर से राय/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी सदर अलवर द्वारा पत्रांक 4678 दिनांक 06.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि दिनांक 17.10.2022 को श्री रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग अलवर द्वारा एक वाहन मारूति वैन नं0 आरजे 02 यूएस 7605 को थाना अरावली विहार अलवर पर सुरक्षा की दृष्टि से खडी की गई है। उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर देने या नहीं देने का पूरा अधिकार प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग अलवर को है। थाना हाजा पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है एवं जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा पत्रांक 2798 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को यदि अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो नियमानुसार सुपुर्दनामा पर दिया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्राथी की बहस व थानाधिकारी अरावली विहार अलवर एवं जिला रसद अधिकारी अलवर की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 2,00,000/– (शब्देन [illegible] लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश	

करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पूर्व से नियत दिनांक 22.11.2022 को पेश हो।

जिला कलक्टर
अलवर

[illegible]

पत्रावली पेश [illegible] /अपी0 उप0/ [illegible] राजकार्य में अनु0 [illegible] व्यस्त है [illegible] हो। दिनांक [illegible]

रीडर

25/11/22

24/11/22

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के जमानत/सुपुर्दनामा पेश किये। तस्दीक कर मय पत्रावली निरी. उ.प.क. विभाग अलवर को वाहन सुपुर्दगी हेतु अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible]

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)